बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः– वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 में संशोधन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिप्लोमा) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों को वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 द्वारा दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 द्वारा दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें लागू की गई है।

2. राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–02वि० (2) दिनांक–02.01.2003 द्वारा दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें प्रभावी की गई हैं। इसी प्रकार दिनांक–29.07.2011 को निर्गत संकल्प के द्वारा दिनांक–01.01.2006 से छठे वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें प्रभावी है। दिनांक–01.01.2016 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तों को दिनांक–02.12.2019 को निर्गत संकल्प द्वारा प्रभावी किया गया है।

3. उक्त सभी वेतन पुनरीक्षण में सेवा शर्तें/वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि एवं संबंधित संकल्प की निर्गत तिथि में अंतराल है। प्रत्येक वेतन पुनरीक्षण के उपरांत एक तरफ जहाँ वेतनमान का पुनरीक्षण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सेवा शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। जिसके कारण संकल्प के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन पाने वाले शिक्षकों एवं वित्तीय उन्नयन से वंचित शिक्षकों के मामले में नए सेवा शर्त के आधार पर वित्तीय उन्नयन देने में कठिनाई उद्भूत हो रही है।

4. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 की कंडिका–6 में अभातशिप विनियम–2019 (डिप्लोमा) की कंडिका–1.4 (ख) में निहित प्रावधान को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाने के कारण उम्मीदवारों का नियमित सेवा अंतर्गत शैक्षणिक अनुभव की कमी होने से प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति किये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

5. तदालोक में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षको के वेतनमान में उत्पन्न विसंगति को दूर करने एवं कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(i) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए दिनांक–01.01.2006 से वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 की निर्गत तिथि 29.07.2011 के बीच की अवधि में योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–02वि०(2) दिनांक–02.01.2003 में निहित प्रावधान को लागू की जायेगी।

(क) वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7027 दिनांक–29.07.2011 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक–01.01.2006 से प्रवृत पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय

संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथाअन्य सेवा शर्तो एवं बंधेजों सहित) के पूर्व प्रचलित वित्त विभागीय संकल्प संख्या–02वि०(2), दिनांक–02.01.2003 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक– 01.01.1996 से प्रवृत पुनरीक्षित वेतनमान {संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित} दिनांक–28.07.2011 के प्रभाव से निरसित हो जायेगा।

(ख) दिनांक–01.01.2006 से दिनांक–28.07.2011 तक दिनांक–01.01.1996 से प्रवृत योजना के अधीन अपुनरीक्षित वेतनमान में दी गयी प्रोन्नतियाँ अक्षुण्ण रखी जाएगी।

(ग) ऐसे शिक्षक जिनकी प्रोन्नति दिनांक–01.01.2006 से दिनांक–28.07.2011 के मध्य परिपक्व होती है तथा जिन्हें उक्त अवधि में प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है, के पास 28.07.2011 की तिथि तक दिनांक–01.01.1996 से प्रवृत योजना अथवा दिनांक–01.01.2006 से प्रवृत योजना के अधीन विकल्प चयन का अवसर दिया जायेगा।

(ii)राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए दिनांक–01.01.2016 से वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 की निर्गत तिथि 02.12.2019 के बीच की अवधि में योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 में निहित प्रावधान लागू होगा।

(क) राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए दिनांक–01.01.2016 से वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 की निर्गत तिथि 02.12.2019 के बीच की अवधि में योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 में निहित प्रावधान से प्रभावी होंगे।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 के प्रावधान दिनांक–01.12.2019 के प्रभाव से निरसित हो जायेंगे।

(ख) दिनांक–01.01.2016 से दिनांक–01.12.2019 तक दिनांक–01.01.2006 से प्रवृत योजना के अधीन अपुनरीक्षित वेतनमान में दी गयी प्रोन्नतियाँ अक्षुण्ण रखी जायेंगी।

(ग) ऐसे शिक्षक जिनकी प्रोन्नति दिनांक–01.01.2016 से दिनांक–01.12.2019 के मध्य परिपक्व होती है तथा जिन्हें उक्त अवधि में प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है, के पास 01.12.2019 की तिथि तक दिनांक–01.01.2006 से प्रवृत योजना अथवा दिनांक–01.01.2016 से प्रवृत योजना के अधीन विकल्प चयन का अवसर दिया जायेगा।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 (डिप्लोमा) की कंडिका–2.22 में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना हेतु वर्णित शेष प्रावधान को वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 की कंडिका–6 में उप कंडिका–6.1 के रूप में दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पूर्व की सेवा का अनुभव सिर्फ नियुक्ति के लिए, निम्नरूपेण जोड़ी जायेगी :–

6.1– बशर्ते कि :

(क) धारित पद की अनिवार्य योग्यताएं व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के लिए, जैसा भी मामला हो, अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।

(ख) पद व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद की ही भांति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व–संशोधित वेतन मान में है/था।

(ग) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल उचित माध्यम से करें।

(घ) संबंधित व्यक्ति यथास्थिति, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद में नियुक्ति के लिए अभातशिप द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हों।

(ड़) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संबंधित संस्था के विनियमों में यथानिर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।

(च) पूर्व की नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं हो। तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकेगी बशर्ते कि :

(i) सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी ;

(ii) पदधारक की नियुक्ति, सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी;

(iii) पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था ;

(iv) सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग, स्थायी आधार पर नियुक्ति किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वापेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी/संविदा/तदर्थ) से दिया जाएगा।

(v) पदधारक, किसी नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून, कुल सकल परिलब्धियां आहरित कर रहा था ; तथा

(vi) चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें, अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।

(छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में, वहां कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, जहां की गई पूर्व सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

6. उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 के प्रावधान उक्त हद् तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29.2.24

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–14/2019/ 920 **/पटना, दिनांक–** 29/02/24

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–14/2019/ 920 /पटना, दिनांक– 29/02/24

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27.02.2024 में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृति के आलोक में)/सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/प्राचार्य सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, (बी०सी०एस०टी०), पटना/विभागीय सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–14/2019/ 920 /पटना, दिनांक– 29/02/24

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेश कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रशाखा–2/20.02.24